भगवानाराम बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 04/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (नागौर)

मुकदमा नम्बर :— 04/2023

प्रार्थी :—

भगवानाराम पुत्र मोतीराम जाति माली निवासी घाटवा तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

अप्रार्थी :—

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार चितावा तहसील कुचामन सिटी।

प्रार्थना पत्र बाबत :— राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध करने
अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह आर.ए.एस.

उपस्थित :— प्रार्थी भगवानाराम

निर्णय

दिनांक :— 05.01.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम मोतीराम पुत्र सुरजाराम है जबकि प्रार्थी के दादा को घर पर सूरजमल के नाम से भी पुकारा जाता था। प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व ग्राम खोरण्डी के खसरा नम्बर 578 रकबा 1.9200 हैक्टर भूमि खातेदारी शुदा, कब्जा शुदा व स्वामित्व में आई हुई है जिसमें सुरजाराम के स्थान पर सुरजमल दर्ज हो गया जो गलत एवं काबिल संशोधनिय है। प्रार्थी के पिता का सही नाम मोतीराम पुत्र सूरजाराम राजस्व ग्राम खोरण्डी के खसरा नम्बर 549 की जमाबंदी में दर्ज है। राजस्व ग्राम खोरण्डी के खसरा नम्बर 549 की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम मोतीराम पुत्र सूरजाराम दर्ज हैं जो सही हैं तथा खसरा नम्बर 578 रकबा 1.9230 हैक्टर की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम सही करवाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उपतहसीलदार चितावा के रिपोर्ट अनुसार पटवारी हल्का खोरण्डी व भू.अ. निरीक्षक घाटवा की जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व ग्राम खोरण्डी के खाता संख्या 294 में खातेदार मोतीराम पुत्र सुरजमल है जबकि इनके समस्त दस्तावेज व गांव में पूछताछ करने पर इनका नाम मोतीराम पुत्र सुरजाराम हैं। खातेदार मोतीराम पुत्र सुरजमल के स्थान पर मोतीराम पुत्र सूरजाराम राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी ने साक्ष्य सबूत में आधार कार्ड की प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत घाटवा का प्रमाण पत्र, प्रार्थी भगवानाराम का शपथ पत्र, मोतीराम के प्रमाण पत्र की प्रति पेश की।

पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात, पटवारी पटवार हल्का घाटवा व भू.अ. निरीक्षक घाटवा की रिपोर्ट मय अनुशंषा, उपतहसीलदार चितावा की रिपोर्ट मय अनुशंषा तथा सरपंच ग्राम पंचायत घाटवा की अनुशंषा के अनुसार राजस्व ग्राम खोरण्डी के खसरा नम्बर 578

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 12:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

रकबा 1.92 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम मोतीराम पुत्र सुरजमल के स्थान पर मोतीराम पुत्र सुरजाराम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम खोरण्डी के खसरा नम्बर 578 रकबा 1.92 हैक्टर भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम मोतीराम पुत्र सुरजमल के स्थान पर मोतीराम पुत्र सुरजाराम दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार उपतहसीलदार चितावा को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेशित किया जाता है। उपतहसीलदार चितावा को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को सरे न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2023.02.22 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested